(46)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R. 4092-III/13

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–छतरपुर

श्री ... द्वारा आज दि. 14.11.13 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विश्वनाथ सिंह पुत्र जगतराज यादव, निवासीहाल नौगांव, जिला–छतरपुर (म.प्र.)

...........आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला–छतरपुर

.... अनावेदक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4092–तीन / 13 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–04–2015	आवेदक अधिवक्ता श्री के0के0द्विवेदी उपस्थित । उन्हें प्रकरण में कायमी पर सुना गया । उन्होंने व्यक्त किया कि नायब तहसीलदार द्वारा अपने आलोच्य आदेश दिनांक 20–9–13 में आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का खसरा खतौनी की प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर आवेदक का आवेदन नक्शा तरमीम बावत् निरस्त कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त खसरा उपलब्ध था अतः उनके द्वारा प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर न करते हुये तकनीकी आधार पर किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है । 2– प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर तहसीलदार मण्डल महेबा तहसील छतरपुर द्वारा दिनांक 20–9–2013 को आदेश पारित करते हुये आवेदक का नक्शा तरमीम का आवेदन खसरा खतौनी की प्रतिलिपि पेश नहीं करने के आधार पर निरस्त किया गया है । इससे स्पष्ट है कि अपर तहसीलदार द्वारा अपने कर्त्तव्यों का पालन न करते हुये आवेदन निरस्त करने में घोर लापरवाही बरती है । आवेदक को साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार प्रदान करना चाहिये था । अतः निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा अपर तहसीलदार को यह निर्देशित किया जाता है कि आवेदक को विधि अनुसार साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये आवेदक के आवेदन में बताये गये खसरा नम्बरों के नक्शे पर तरमीम करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें । (हस्ताक्षर) **प्रशासकीय सदस्य**	